(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2750 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.06.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 594/15-16/अपील.

रामसिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह
निवासी ग्राम ददोरी कृषक ग्राम मोहना,
जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

कुबेर सिंह पुत्र श्री लायक सिंह
निवासी ग्राम ददोरी (मोहना),
तह. घाटीगांव, जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 30/1/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 2973 रकबा 0.125 हैक्टेयर ग्राम मोहना तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर में स्थित है। आवेदक के पुत्र अजय सिंह द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार घाटीगांव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने हेतु आदेश दिये गये। सीमांकन के दौरान अनावेदक द्वारा आपत्ति की गई कि वर्णित भूमि पर कब्जा अंकित है, तब आवेदक को अनावेदक का विवादित भूमि पर कब्जा अंकित होने का ज्ञात हुआ। आवेदक ने प्रकरण क्रमांक 27/2000-01/बी-121 आदेश दिनांक 17.12.2001 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव के समक्ष संहिता की धारा 48 के प्रार्थना पत्र के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नकल शाखा द्वारा प्रदाय न करने से तथा तहसील न्यायालय में प्रकरण का शोध न लगने से अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 2/2014-15/अपील दर्ज कर आदेश दिनांक 13.04.2015 से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.04.2015 यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील प्रस्तुत करते समय विचारण न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध न होने से आवेदक द्वारा संहिता की धारा 48 का आवेदन पेश किया गया, जिस पर विचार किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में गंभीर कानूनन भूल की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जाकर अवैधानिक आदेश पारित किया गया। इस कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाया गया, परंतु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयीन प्रकिया को सही मानते हुए अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। इस कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(3) अपर आयुक्त द्वारा परीक्षण न्यायालय का अभिलेख दिनांक 27.01.2017 को वारंट जारी किया जाकर मंगाया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा साधारण मात्र पत्र द्वारा अभिलेख

नहीं भेजा गया। इस बात को नजरअंदाज किया जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है, जिससे स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अनावेदक से वाला-वाला संधि की जाकर आवेदक को नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है व न्यायालय द्वारा अनावेदक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आवेदक को नकल प्रदान नहीं की गई, जिससे आवेदक को हानि हुई है। इन सभी मुख्य तथ्यों पर गौर किये बगैर अपीलीय न्ययालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किये गये हैं। इस कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(4) अपर आयुक्त के समक्ष अभिलेख प्राप्त होने पर अपर आयुक्त को गुण दोषों के आधार पर अपील का निराकरण करना चाहिए था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा मात्र मनमाना आदेश पारित कर आवेदक को न्याय से वंचित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर न्याय की मंशा के विपरीत आदेश पारित किया गया है। इस कारण निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नकल मिलने पर अपील निरस्त की है, जबकि तहसीलदार ने माना है कि प्रकरण नहीं मिल रहा है । यदि प्रकरण ही उपलब्ध नहीं हो रहा था तो आवेदक नकल कैसे प्रस्तुत करता । इस तथ्य पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है तथा क्या तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने का अधिकार है, इसकी विधिक स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को पुन: विधिक आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-2015 निरस्त किये जाते है । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुन: तथ्यों पर विचार कर विधिक आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर